न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 33/2019

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
आई सी आई सी आई, होम फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय – 'लैण्डमार्क रेस कॉर्स सर्कल बड़ोदरा तथा शाखा कार्यालय – 2 सी – मधुबनी, मधुबन उदयपुर– 313001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री नीतिन जोशी	बनाम	1. (अ) लहरी चन्द पिता चुन्नी लाल, 54 माली मोहल्ला, वार्ड नं. – 3 मकराना, जिला नागौर (राज.) (ब) खसरा न– 436, पट्टा न– 1605, मालियो कि ढाणी पानी कि टंकी के पास मकराना, जिला नागौर (राज.) (स) मकराना बाईपास रोड, मकराना, जिला नागौर (राज.) 2. (अ) श्रीमति संतोष देवी पत्नि लहरी चन्द, 54 माली मोहल्ला, वार्ड नं. – 3 मकराना, जिला नागौर (राज.) (ब) खसरा न– 436, पट्टा न– 1605, मालियो कि ढाणी पानी कि टंकी के पास मकराना, जिला नागौर (राज.)

आदेश

दिनांकः– 21/05/2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी ऋण करार संख्या NHMAK00000830726 के द्वारा **10,40,886/–(अक्षरे दस लाख चालीस हजार आठ सौ छियासी रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 29.04.2015** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– एक आवासीय मकान जिसका क्षेत्रफल 436.66 वर्ग गज है जो कि खसरा न– 436, पट्टा न– 1605, मालियो कि ढाणी, पानी कि टंकी के पास मकराना, जिला नागौर (राज.) हैं। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में विक्रेता की भूमि, पूर्व में सामलाती रास्ता एवं पश्चिम में विक्रेता की भूमि स्थित है,** जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 07.07.2017** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये** 10,75,247/–(अक्षरे दस लाख पचत्तर हजार दो सौ सेतालिस रुपये मात्र) **दिनांक 31.10.2017 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 31.10.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि रूपये **10,75,247/–(अक्षरे दस लाख पचत्तर हजार दो सौ सेतालिस रुपये मात्र) दिनांक 31.10.2017 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नही करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज

जिला मजिस्ट्रेट नागौर

से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण– **एक आवासीय मकान जिसका क्षेत्रफल 436.66 वर्ग गज है जो कि खसरा न– 436, पट्टा न– 1605, मालियो कि ढ़ाणी, पानी कि टंकी के पास मकराना, जिला नागौर (राज.) हैं। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में विक्रेता की भूमि, पूर्व में सामलाती रास्ता एवं पश्चिम में विक्रेता की भूमि स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **10,40,886/–(अक्षरे दस लाख चालीस हजार आठ सौ छियासी रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 29.04.2015** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आरथी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे सम्पति– **एक आवासीय मकान जिसका क्षेत्रफल 436.66 वर्ग गज है जो कि खसरा न– 436, पट्टा न– 1605,** मालियो कि ढाणी, पानी कि टंकी के पास **मकराना,** जिला नागौर (राज.) **हैं। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में विक्रेता की भूमि, पूर्व में सामलाती रास्ता एवं पश्चिम में विक्रेता की भूमि स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, उक्त सम्पति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक नागौर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नागौर